(ग्रुप-2) विभाग
आवक संख्या 2314
दिनांक 16 MAY 2013

राजस्थान सरकार

कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

"राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना– 2009, दिशा निर्देश 2013–14"

1. योजना :

राज्य में 30 अगस्त, 1994 से कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसानो व खेतीहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देने के लिए कृषक साथी योजना कृषि विपणन निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी तथा इस योजना से पूर्व 22 दिसम्बर, 2004 से "किसान जीवन कल्याण योजना" के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाती रही थी। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 4 (78)/कृषि/ग्रुप–2/2002 दिनांक 09.12.2009 के द्वारा "किसान जीवन कल्याण योजना" को संशोधित कर "राजीव गांधी कृषक साथी योजना" के रूप में लागू की गई है। उक्त योजना का बीमा विगत वर्षो की भांति इस वर्ष भी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 तक रहेगी।

योजना में राज्य के कृषकों/खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य अथवा मण्डी प्रांगण में विपणन कार्य करते समय गांव से मण्डी तक विकय करने के अगले दिन तक लौटते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मण्डी समितियों के जरिये सहायता प्रदान की जाती है।

2. योजना का लाभ निम्न परिस्थितियों में देय होगा :

1. कृषकों/खेतिहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते हुए (जिसमें खेती से संबंधित सिंचाई कार्य भी शामिल है)
2. सिंचाई कार्य हेतु कुआं खोदते समय ट्यूबवैल स्थापित करते समय एवं ट्यूबवैल संचालित करत समय बिजली करण्ट लगने तथा खेत में गुजरने वाली विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
3. कृषकों द्वारा खेतों में फसलों, फल सब्जियों पर रासायनिक दवाईयों आदि का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
4. मुख्य मण्डी यार्ड, उप यार्ड व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर घोषित क्रय केन्द्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
5. मण्डी में बोरियों की धांग लगाते समय मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
6. मण्डी प्रांगण में ट्रेक्टर ट्रॉली, ऊंट लड्ढा, बैल गाडी, भैंसा गाडी आदि उलट जाने पर दुर्घटना में काश्तकार की मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
7. मण्डी प्रांगण में कार्यरत पल्लेदार/हमाल/मजदूर की मण्डी प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने एवं मृत्यु या अंग–भंग होने पर।
8. अपने अथवा किराये के साधन जिसमें काश्तकार स्वयं हो, मण्डी में कृषि उपज लाते समय रास्ते में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर अथवा कृषि

उपज बेचकर अपने या किराये के साधन में गांव लौटते समय (अगले दिन तक) में हुई दुर्घटना में मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

9. काश्तकार/खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रेक्टर, बैलगाडी, ऊंटगाडी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

10. राज्य में कुट्टी काटने की मशीन अथवा कृषि संयत्रों से कृषक/मजदूर, पुरूषों, महिलाओं के केश (बाल) मशीन में आने से हुई दुर्घटना (डी–स्केल्पिंग) पर।

11. कृषकों/खेतीहर मजदूरों के खेत पर कार्य करते हुए सांप/ऊंट या जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

12. कृषि कार्य करते हुए आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग–भंग होने पर।

13. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूट जाने पर दो अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।

14. कृषि/कृषि विपणन कार्य करते समय सिर में चोट लगने से कोमा में जाने पर इसे दो अंगों के स्थायी रूप से अंग–भंग होने के समान क्षति मानते हुए सहायता राशि देय होगी।

15. कृषि सुरक्षा, पशु चरायी हेतु पेडो की छंगाई, कृषि की रखवाली करते हुए दुर्घटना घटित होने पर। (कृषि (ग्रुप2) विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2010 द्वारा स्थापित)

16. वर्तमान में विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों के खेतों पर डिग्गी का निर्माण कराया जाता है। किसान के खेत में निर्मित डिग्गी में कृषकों/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी इस योजना के तहत लाभ देय होगा। कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/11/57288 दिनांक 09.03.2011 के द्वारा जोड़ा गया। खेत में कृषि कार्य करते समय खेत में निर्मित डिग्गी/टांके में डूबने से कृषक /खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर इस योजना के तहत लाभ देय होगा। (कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर के पत्रांक प.1 (58) निकृवि/रागांकृसायो/52968 दिनांक 05.03.2012 के द्वारा जोडा गया।

3. सहायता राशि :

इस योजना में निम्न प्रकार सहायता देय होगी :–

क्र.सं.	सहायता राशि हेतु परिस्थिति	देय सहायता (राशि रू. में)
1.	मृत्यु होने पर आश्रित को	1,00,000/–
2.	दो अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पांव दोनों आंख, कोई एक–एक अंग अलग से कटने पर	50,000/–
3.	रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट	50,000/–

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18/11/2014 से सहायता राशि 2.00 लाख की गयी।

से कोमा में जाने पर

4.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों) की डी–स्केल्पिंग होने पर	40,000/–
5.	पुरूष अथवा महिला के सिर के केश (बालों)की आंशिक (छोटे भाग की) डी–स्केल्पिंग होने पर	25,000/–
6.	एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा बांह आदि के अंग–भंग होने पर	25,000/–
7.	चार अंगुली कट जाने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में)	20,000/–
8.	तीन अंगुली कट जाने पर	15,000/–
9.	दो अंगुली कट जाने पर	10,000/–
10.	एक अंगुली कट जाने पर	5,000/–
11.	मंडी प्रांगण में कार्यरत हमाल /पल्लेदार/मजदूर को मंडी प्रांगण में कृषि/ विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने पर	5,000/–

4. सहायता राशि स्वीकृति हेतु प्रकिया :–

निम्न अधिकारियों की एक समिति सहायता राशि स्वीकृत करने हेतु उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर निर्णय लेगी –

1.	अध्यक्ष/प्रशासक, संबंधित मण्डी समिति	–	अध्यक्ष
2.	जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति	–	सदस्य सचिव

प्रशासक, भारतीय प्रशासनिक सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होने की स्थिति में उक्त समिति में जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं होगी।

उक्त समिति की बैठक मण्डी समिति स्तर पर प्रति माह आवश्यक रूप से सम्पन्न किया जाना आवश्यक होगा। यह योजना सामाजिक सरोकार से सम्बन्धित होने के कारण एक बार प्रकरण सहायता समिति द्वारा निरस्त किये जाने के पश्चात किसी भी स्तर पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा तथा गठित सहायता समिति का निर्णय

अन्तिम होगा। समिति की बैठक में निर्णय उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से लिया जावेगा। अनिर्णित एवं विवादग्रस्त प्रकरण राज्य स्तरीय समिति को प्रस्तुत किये जा सकेगें।

5. दावों के निपटारे की प्रक्रिया एवं समयावधि :

दुर्घटनाग्रस्त काश्तकार/खेतीहर मजदूर या उसके वैध उत्तराधिकारी को दुर्घटना होने के छः माह के अन्दर क्षेत्र की मण्डी समिति को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र देना होगा, मण्डी समिति यह सुनिश्चित करेगी की आवेदन पत्र में दर्शाई गई दुर्घटना में हुई मृत्यु या अंग–भंग की घटना कृषि कार्य करते हुए ही हुई है। समिति द्वारा सहायता राशि स्वीकृति के दावे का निर्णय एक माह से करना होगा।

यदि प्रकरण छः माह पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अवधि में शिथिलता का अब कोई प्रावधान नहीं होगा, 6 माह की अवधि दावा प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त है, इसके पश्चात प्राप्त होने वाले दावों पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है।

कुछ प्रकरणों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण जिला कलेक्टर/ उपखण्ड अधिकारी/ तहसीलदार कार्यालय में प्रेषित कर दिया जाता है जिसकी वजह से प्रकरण निर्धारित अवधि छः माह से अवधि पार हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में सभी संबंधित कार्यालयों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया कि उक्त प्रकरण इस आशय के साथ मंडी को भिजवाये जाना सुनिश्चित करें कि प्रकरण उनके कार्यालय में अमुक तारीख को प्राप्त हो गया था। ऐसे प्रकरणों में छः माह की अवधि उक्त कार्यालयों में प्राप्त तिथि के आधार पर ही मान्य होगा।

राज्य की किसी भी मण्डी समिति में अपनी उपज बेचने जाते/बेच कर लौटते समय दुर्घटना पर सहायता राशि उसी मण्डी समिति द्वारा दी जायेगी, जिस मण्डी समिति में उपज बेची गई है। चाहे दुर्घटना उस मण्डी समिति क्षेत्र से बाहर ही हुई हो।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 एवं 16 की परिस्थितियों में संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई–गई रिपोर्ट (एफआईआर) पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।

यदि कोई कृषक/खेतीहर मजदूर कृषि कार्य करते समय अथवा कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते व आते समय घटित दुर्घटना के फलस्वरूप अंग भंग होने की स्थिति में पुलिस मे एफ.आई.आर., पुलिस के पंचनामें एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें स्थानीय राजकीय अथवा निजी चिकित्सालय, जहां से भी ईलाज करवाया गया है उस चिकित्सक का प्रमाण पत्र ईलाज की पर्ची इत्यादि दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। सामान्य दुर्घटना के फलस्वरूप हुई दुर्घटना से हुए अंग भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा।

पैरा 2 के बिन्दु संख्या 11 की परिस्थितियों में सामान्यतः दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवं पुलिस के पंचनामें/पोस्टमार्टम

रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जानी चाहिए। परन्तु किन्हीं परिस्थितिवश दुर्घटना की संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाना अथवा पोस्टमार्टम संभव नहीं होने पर मृत्यु के मामले में पंचनामें के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी। ऐसे पंचनामें पर स्थानीय जिला परिषद सदस्य/पंचायत समिति सदस्य/सरपंच/पंच/विद्यालय का प्रधानाध्यापक अथवा उस विद्यालय का कोई अध्यापक, जो वहां निवास करता हो/ पटवारी ग्राम सेवक /कृषि पर्यवेक्षक/ए.एन.एम./राजीव गांधी पाठशाला का अध्यापक/स्थानीय राजकीय अधिकारी अथवा कर्मचारी में से कोई तीन, जिसमें सरपंच एवं दो राज्य कर्मचारी को होना अनिवार्य होगा। पंचनामें में उक्त के अलावा दो स्थानीय प्रतिष्ठित नागरिकों के हस्ताक्षर करवाने होगें।

सर्पदंश/ऊंट/जहरीले जानवर के काटने के कारण मृत्यु होने की स्थिति में राजकीय चिकित्सक का ही प्रमाण पत्र आवश्यक होगा एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा मौके पर तैयार पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये हैं, के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

योजनान्तर्गत राजकीय डाक्टर के संबंध में यह स्पष्ट है कि सरकारी कोई भी डाक्टर (एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी) शामिल होगा।

योजनान्तर्गत सर्पदंश /ऊंट/ जहरीले जानवर के कारण दुर्घटना में जहां अंग–भंग हो जाता है, वहां ऐसे काश्तकार/खेतीहर मजदूर द्वारा स्थानीय या संबंधित चिकित्सालय जहां से भी ईलाज करवाया गया है, उस चिकित्सक का चिकित्सा प्रमाण पत्र व ईलाज की पर्ची व दवाईयों आदि के बिल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

स्कैल्पिंग की दुर्घटना में यदि राजकीय अस्पताल में ईलाज करवाया जा रहा है, तो संबंधित डाक्टर की रिपोर्ट पर देय राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान दुर्घटनाग्रस्त कृषक/खेतीहर मजदूर को मण्डी समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। यदि डी स्कैल्पिंग का ईलाज निजी चिकित्सालय में करवाया जा रहा है, तो देय राशि का भुगतान समिति के अनुमोदन के पश्चात मण्डी समिति द्वारा एक मुश्त किया जाएगा।

6. सहायता राशि का भुगतान एवं पुर्नभुगतान :

समिति के निर्णय के पश्चात संबंधित मण्डी समिति के सचिव द्वारा वैध दावेदार को 15 दिन में रेखांकित चैक/ड्राफ्ट द्वारा दो व्यक्तियों के सामने किया जाएगा, जिनका सत्यापन दोवदार द्वारा की गई रसीद पर भी होगा।

सहायता राशि का भुगतान मण्डी समिति स्तर पर गठित सहायता समिति द्वारा दस्तावेजों की परीक्षोपरान्त संबंधित सचिव मण्डी समिति द्वारा किया जाएगा। संबंधित मंडी की सहायता समिति द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का पुर्नभरण निदेशालय द्वारा किया जाएगा। इस हेतु संबंधित सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति का दायित्व होगा कि वह निस्तारित प्रकरणों की सम्पूर्ण सूचना/दस्तावेज निदेशालय कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर को 10 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करेगा।

योजनान्तर्गत यह देखा गया है कि कतिपय मंडियों में 31 मार्च के बाद वे प्रकरण जो गत वर्ष घटित हुए है उन्हें आगामी वर्ष में शामिल कर लिया जाता है। अतः समस्त मंडी सचिवों को निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया गया कि प्रकरण जिस वर्ष में घटित हुआ उसी वर्ष के रजिस्टर में इन्द्राज कर उसी वर्ष में रिपोर्ट किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत नियमानुसार भुगतान किये जाने के पश्चात सभी प्रकरणों की मूल पत्रावलियां एवं अभिलेख संबंधित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में रखा जायेगा, जिसके आधार पर कृषि उपज मण्डी के लेखों का चार्टड एकाउन्टेट एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण करते समय इन प्रकरणों की भी जांच की जायेगी।

काश्तकार के कृषि उपज विक्रय हेतु मण्डी में जाते /लौटते समय, सर्प के डसने से, बिजली करंट, विद्युत लाईन के क्षतिग्रस्त होने तथा आकाशीय बिजली से दुर्घटना /मृत्यु होने पर प्रकरणों की जांच मंडी सचिव संबंधित गांव में जाकर स्वंय करेंगें।

सदस्य सचिव को यह प्रतीत हो कि इन निर्देशों का उल्लंघन हो रहा हो अथवा जहां भी कहीं संदेह की स्थिति हो व जांच आवश्यक हो तो वह किसी स्वतंत्र अन्वेषणकर्ता से प्रकरण की जांच कराएगा किन्तु उक्त कार्य 30 दिवस के अन्दर करना अनिवार्य होगा। अन्वेषणकर्ता की जांच रिपोर्ट मय अनुशंसा पुनः मंडी दावा स्वीकृति समिति के समक्ष रखी जाएगी। यदि समिति एवं अन्वेषणकर्ता की अभिशंसा में भिन्नता हो तो ऐसे प्रकरणों को कृषि विपणन निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इस योजना का संचालन कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से किया जावेगा। योजना के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति को किये जाने वाले दावों का पुनर्भरण कृषि विपणन निदेशालय द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समिति से प्राप्त अंशदान से किया जायेगा।

7. बैंक खातों का संधारण :

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के संचालन हेतु एक पृथक बैंक खाता खोला जावेगा। उक्त बैंक खाते में राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, विशिष्ठ एवं अ श्रेणी की मंडी समितियों से प्राप्त अंशदान जमा कराया जावेगा तथा उक्त खाते से मंडी समितियों से प्राप्त पुर्नभरण दावों का भुगतान किया जावेगा। 1,00,000/- रूपये तक के चैक पर मुख्य लेखाधिकारी हस्ताक्षर कर जारी करने हेतु अधिकृत होगें। इससे अधिक राशि के चैको पर मुख्य लेखाधिकारी एवं निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक जारी किये जा सकेगें।

बैंक खाते का प्रतिमाह मिलान कर यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो तुरन्त कार्यवाही कर आवश्यक सुधार कराया जावेगा।

राशि को स्थायी विनियोजन के रूप में रखी जावेगी। एक साथ बैंक खाते में दिन प्रतिदिन के लेन देन हेतु राशि 2 करोड़ रूपये रखी जावेगी।

8. राज्य स्तरीय Review Committee

मंडी समिति की कमेटी के स्तर पर अनिर्णित प्रकरणों को राज्य स्तरीय कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखे जा सकेगें। कमेटी निम्नानुसार होगी :–

1.	निदेशक	–	अध्यक्ष
2.	उप शासन सचिव, कृषि ग्रुप–2	–	सदस्य
3.	मुख्य लेखाधिकारी	–	सदस्य सचिव

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 07/04/2017 के द्वारा मुख्य लेखा अधिकारी के स्थान पर संयुक्त निदेशक (वित्त) को सदस्य सचिव नामित किया

9. <u>योजना के अपवर्जन एवं ध्यान रखने योग्य बिन्दु :</u>

योजनान्तर्गत दुर्घटना में मृत्यु/क्षति होने पर दुर्घटना के स्पष्ट साक्ष्य मिलने पर ही योजना के लाभ देय होंगे। कृषि कार्य के अलावा अथवा कृषि उपज मण्डी में विकय हेतु जाने/आने के अलावा अन्य कारणों से हुई दुर्घटना के कारण मृत्यु या अंग–भंग में योजना का लाभ देय नहीं होगा। निम्न कारणों से होने वाली मृत्यु /क्षति के मामलों में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा :

1. (i) बीमारी से होने वाली मृत्यु /अंग–भंग होने की स्थिति में।
   (ii) आत्महत्या, पागलपन अथवा कृषक द्वारा नशीले द्रव्य लेने से होने वाली मृत्यु।
   (iii) चिकित्सा अथवा शल्य–क्रिया के दौरान होनें वाली मृत्यु।
   (iv) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकरण योजना में शामिल नहीं किया जावेगा।
   (v) गर्भ धारण अथवा प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु।
   (vi) यदि दुर्घटना तिथि एवं मृत्यु तिथि में 90 दिन से अधिक का अन्तर होगा तो प्रकरण दुर्घटनावश नहीं माना जायेगा। लेकिन यदि ईलाज लगातार चल रहा हो और उसी हादसे के कारण मृत्यु हुई हो तो प्रकरण राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कवर माना जाएगा बशर्ते इस दौरान दुर्घटनाग्रस्त कृषक /खेतीहर मजदूर संबंधित अस्पताल द्वारा डिस्चार्ज न किया गया हो/ डिस्चार्ज होकर पुनः भर्ती न हुआ हो।
   (vii) नाभिकीय विकरण अथवा परमाण्विक अस्त्रों से होने वाली मृत्यु।
   (viii) युद्व विदेशी आकमण विदेशी शत्रु के कृत्यों, गृह युद्व, देश द्रोह अथवा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने से होने वाली मृत्यु।
   (ix) आपराधिक उद्देश्य से विधि द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन करते समय हुई मृत्यु।

(x) विधि द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करने के फलस्वरूप हुई क्षति/मृत्यु की दशा में।

2. "75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को योजना में शामिल नहीं माना जायेगा।" कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया ।

3. 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा यदि वह स्वंय के खेत पर भी कार्य करता है तो योजना का पात्र नहीं माना जायेगा। 14 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा यदि विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना का लाभार्थी है तो उसे इस योजना का लाभ देय नहीं होगा अर्थात वह दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना का लाभ ले सकेगा एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के पत्र क्रमांक प. 1 (135) निकृवि/रागांकृसायो/10/15176 दिनांक 29.06.2011 के द्वारा जोड़ा गया)

4. सर्पदंश, जहरीले जानवर के काटने पर मृत्यु/क्षति होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट/एफआईआर नहीं होने की स्थिति में मौके पर तैयार पंचनामा एवं राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, प्रमाण पत्र पर दो सरकारी कर्मचारी एवं संबंधित चिकित्सक जिसने चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किये है, के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे। प्रमाणित करने वाले चिकित्सक एवं हस्ताक्षरकर्ता सरकारी कर्मचारी तथ्यों की सत्यता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना में मृत्यु या अंग भग होने पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। कुछ प्रकरणों में सरकार की अन्य योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्राकृतिक आपदा कोष, राष्ट्रीय आपदा कोष आदि के अंतर्गत भी सहायता राशि दी जाती है। इस प्रकार एक ही प्रकरण में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत एक ही व्यक्ति को दोहरी सहायता दिये जाने की स्थिति बन जाती है। अतः अन्य योजनाओं के अधीन भुगतान की गयी राशि को कम कर केवल अंतर राशि का ही भुगतान कृषक/मजदूर को किया जायेगा। इस हेतु दावेदार का दावा प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। (कृषि विपणन निदेशालय के आदेश क्रमांक निकृवि/रागांकृसायो/2010–11/3464–80 दिनांक 03.05.2010 के द्वारा जोड़ा गया।)

निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
कृषि विपणन
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प.1 (158) निकृवि/रागाकृसायो/MOU file/ 6126-6303 जयपुर दिनांक : 09/5/13

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव माननीय राज्यमंत्री महोदय, कृषि विपणन, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ।
5. शासन उप सचिव कृषि (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
8. क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्डीय कार्यालय (समस्त)।
9. सहायक निदेशक (प्रशासन) कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
10. सहायक लेखाधिकारी, प्रथम/द्वितीय, कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य लेखाधिकारी
कृषि विपणन विभाग
राज0 जयपुर

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक:– प. 4 (78) कृषि–2 / 2002 जयपुर, दिनांक: 3 DEC 2014

संशोधित आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 18.11.2014 द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कृषक/खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि रूपये 1.00 लाख के स्थान पर रूपये 2.00 लाख की गई है। उक्त आदेश, जो सभी लम्बित प्रकरणों पर लागू किया गया था, आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त आदेश उन्ही प्रकरणों पर लागू होगा जिनमें मृत्यु, आदेश जारी होने की दिनांक अर्थात 18.11.2014 अथवा उसके उपरान्त हुई हो।

(हरि शंकर शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. प्रशासक, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. निदेशक, कृषि विपणन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः प.4(78)कृषि/ग्रुप–2/2002 पार्ट जयपुर,दिनॉक 17/10/16

::आदेश::

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009, दिशा निर्देश 2013–14 मे बिन्दु सं. 5 (दावे के निपटारे की प्रकिया एंव समय अवधि) के द्वितीय अनुच्छेद के स्थान पर निम्नानुसार अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

'यदि प्रकरण 6 माह पश्चात प्राप्त होता है, तो विलम्ब का औचित्यपूर्ण कारण दर्शाते हुए मण्डी समिति आवेदन पत्र के निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति करवा कर उक्त समय सीमा मे शिथिलता की स्वीकृति हेतु विभाग को भेजेगें। यह सीमा विशेष परिस्थितियों मे तीन माह तक निदेशक, कृषि विपणन विभाग द्वारा तथा छः माह तक राज्य सरकार द्वारा बढाई जा सकती है। दुर्घटना के 15 माह पश्चात सहायता राशि हेतु प्राप्त आवेदन पत्र का दावा स्वीकार योग्य नही होगा'।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागु होगा।

(रामावतार गुप्ता)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– विशिष्ठ सहायक मा. मंत्री कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, शासन सचिवालय, जयपुर।
3– प्रशासक राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4– निदेशक कृषि विपणन विभाग राजस्थान, जयपुर।
5– वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
6– मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7– क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग, खण्ड– समस्त।
8– सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, समस्त।
9– रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

S1/DAM/DS/17
12.04.2017

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2)विभाग

क्रमांकः प.1(158)निकृवि / रागाकृसायो /   जयपुर,दिनांकः– 07 APR 2017

आदेश

राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना–2009, दिशा–निर्देश 2013–14 में बिन्दु सं0 8 में गठित राज्य स्तरीय कमेटी में मुख्य लेखधिकारी कृषि विपणन के स्थान पर संयुक्त निदेशक (द्वितीय) कृषि विपणन विभाग, जयपुर को सदस्य सचिव नामित किया जाता है।

ह0
(रामावतार गुप्ता)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(कृषि) शासन सचिवालय, जयपुर।
3. प्रशासक,राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, जयपुरं
5. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन विभाग, जयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (द्वितीय) कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली

उप शासन सचिव